संख्या- 1/2015/सी0ए0 13/दस-2015-01/2015

प्रेषक,

सूर्यनाथ राम,
अनुसचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

1- अपर निदेशक,
उ0प्र0 राज योजना एवं संसाधन निदेशालय,
दसवा तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

2-निदेशक,
उ0प्र0 वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय,
148, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग लखनऊ दिनांक 18 मार्च, 2015

विषय- राज्याधीन सेवाओं में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के अंकन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विष्यक कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-10/106 सी0एम0/36/1/76/का-2/2014, दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 की प्रति संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में राज्याधीन सेवाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का अंकन करते समय उनके कार्य एवं सत्यनिष्ठा के अतिरिक्त उनके द्वारा महिलाओं के प्रति प्रदर्शित किये गये सम्मान एवं संवेदनशीलता के बिन्दु पर भी अनिवार्य रूप से आख्या अंकित किए जाने के निर्देश हैं।

2- कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
सूर्यनाथ राम
अनुसचिव।

http://srasanadesh.up.nic.in

संख्या- 1/2015/सी0ए0 13/दस-2015, तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 को उनके पत्र सं0-एस0ई0-96(1)/दस-2015 दिनांक 11 जनवरी, 2015 के संदर्भ में।

(2) वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग।

(3) निजी सचिव, सचिव, वित्त (श्री मुकेश मित्तल)।

(4) निजी सचिव, सलाहकार, वित्त संसाधन।

आज्ञा से,
सूर्यनाथ राम
अनुसचिव।

http//shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 1/2015/सी0ए0 13/दस-2015-01/2015 का संलग्नक

संख्या-10/106सीएम/36/1/76/का-2/2014

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश् शासन ।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 12 दिसम्बर, 2014

विष।य - राज्याधीन सेवाओं में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के अंकन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विष्यक पूर्व में निर्गत समसंख्यक दिनांक 30-10-1986 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्राविष्टि का अंकन करते समय संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के कार्य आचरण एवं सत्यनिष्ठा में अतिरिक्त उनके द्वारा महिलाओं के प्रति प्रदर्शित किये गये सम्मान एवं संवेदनशीलता के बिन्दु पर भी अनिवार्य रूप से आख्या अंकित की जाये।

2- क़पया उपर्युक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
राजीव कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 10/106सीएम/36(1)/1/76/का-2/2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
(2) निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण को मंत्रिगण के सूचनार्थ।
(3) निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ्।
(4) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल , उत्तर प्रदेश।
(5) प्रमुख सचिव, विधान परिषद /विधानसभा, उत्तर प्रदेश।
(6) रजिस्टार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय , इलाहाबाद।
(7) समस्त मण्डलायुक्त /जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त विभागाध्यक्ष्/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(9) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश , लखनऊ।
(10) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(11) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
(12) वेब अधिकारी/वेब मास्टर , नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश् शासन।
(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अशोक कुमार श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in